



Neutral Citation-2026: AHC:20537

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या - 2845 वर्ष 2026

गोपाल अग्रवालयाचिकाकर्ता(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: ओम प्रकाश पांडे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादोगण इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दो आवेदन, अर्थात् 16.04.2025 और 06.10.2025, प्रतिवादी संख्या 2-कमिशनर, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के समक्ष लंबित हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है; अतः यह वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2, या जिसके समक्ष भी उक्त मामले की कार्यवाही लंबित है, वह उक्त आवेदनों पर शीघ्रता से, कानून के पूर्ण अनुपालन में और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के निर्णय ले, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"